न्यायालय–विशेष न्यायाधीष (पोक्सो)/अपर जिला जज, देहरादून
उपस्थितः अर्चना सागर (उच्चतर न्यायिक सेवा)
निर्णय का दिनांक 28–01–2026
विषेश सत्र परीक्षण संख्याः 146 सन् 2023
मु0अ0सं0–219/2023
अंतर्गत धारा 323,354,504,506 भा0द0सं0 एवं
धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम
थाना– विकासनगर, जिला देहरादून।

परिवादी — उत्तराखण्ड राज्य
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक
सुश्री अल्पना थापा।

बनाम

अभियुक्तगण — **1. दानिश, पुत्र श्री खलील अंसारी,**
2. तालिब, पुत्र श्री खलील अंसारी,
निवासीगण मुस्लिम बस्ती बाजार,
चौकी के पीछे,थाना विकासनगर, देहरादून।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता– श्री रोबिन प्रजापति

Date of offence- 18-06-2023
Date of FIR- 24-06-2023
Date of Chargesheet- 12-10-2023
Date of framing of charges- 30-11-2023
Statement of Accussed on
Substance of accusation
under section 251CRPC-
Date of commencement of evidence- 21-12-2023
Date on which Judgement is reserved- 20-01-2026
Date of Judgement- 28-01-2026
Date of Sentencing order if any-

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences charged with	Whether Acquitted of Convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428 of Cr.PC
1.	दानिश	दोनो अभियुक्त ने दिनांक 09.11.2023 को आत्म समर्पण	दोनो अभियुक्त की जमानत 09.11.2023	धारा 323,354, 504,506 भा0 द0 सं0 एवं धारा 7/8 पो.क्सा	दोषमुक्त		निल
2.	तालिब			धारा 323, 504, 506 भा0 द0 सं0			निल

Special Court(POCSO)
Additional District & Sessions Judge
Dehradun.

निर्णय

दिनांक 28–01–2026

अभियुक्त दानिश के विरूद्ध पुलिस थाना विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा धारा 323,354,504,506 **भा0द0सं0 एवं धारा 7/8** लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम व अभियुक्त तालिब के विरूद्ध पुलिस थाना विकासनगर, जिला देहरादून द्वारा धारा 323,504,506 **भा0द0सं0** अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में यह है कि वादिनी द्वारा तहरीर इस आशय से दी गई है, कि प्रार्थिनी के जेठ का बेटा दानिश, तालिब, पुत्रगण खलील, निवासीगण मुस्लिम बस्ती, जिला देहरादून जिनमें से दानिश आये दिन प्रार्थिनी की नाबालिग बेटी/पीड़िता, उम्र 17 वर्ष, 11 माह को पिछले एक माह से लगातार छेड़ खानी कर रहा है। जिसमें उक्त दानिश द्वारा प्रार्थिनी की नाबालिग बेटी से कहा जाता है कि मैं तूझे छोडूंगा नहीं, जिस दिन मौका मिलेगा तुझे चोद दूंगा। महोदय अपनी इस धमकी के अग्रसरण में दिनांक 18.06.2023 में समय लगभग शाम के 6 बजे, जबकि प्रार्थिनी दुकान में सामान लेने गई थी और प्रार्थिनी की नाबलिग पुत्री घर पर अकेली थी, जब प्रार्थिनी घर वापस पहुॅची तो देखा उक्त दानिश ने प्रार्थिनी की पुत्री के साथ थप्पड़ मारकर व डरा धमका कर उसका नाड़ा जबरन खोलकर पैजमा नीचे किये हुआ था और उसकी निजी अंगो पर हाथ लगा रहा था, प्रार्थिनी द्वारा किसी प्रकार अपनी बेटी को छुड़ाया गया और पुलिस में जाने की बात की तो उक्त दानिश द्वारा कहा कि अगर तू पुलिस में गई तो तेरे पति को और तेरी बेटी को चाकू घोंप कर खत्म कर दूंगा। इसके पश्चात उक्त दानिश ने अपने भाई तालिब को भी बुला लिया और ताबिल ने प्रार्थिनी के गले में चाकू रखा और उसने भी धमकी दी कि मेरे भाई के खिलाफ किसी को भी कुछ बताया तो तेरे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। महोदय इसके पश्चात भी ये लोग नहीं रूके, आज दिनांक 20.06.2023 को समय लगभग 9:30 बजे प्रातः, जब प्रार्थिनी मदीना बस्ती मुस्लिम कब्रिस्तान के पास, जहां पर प्रार्थिनी का घर बन रहा है, वहां पर उक्त दानिश आ गया व गंदी–गंदी मां बहन की गालियां देने लगा व धमकी दी कि आज तुझे जान से मार दूंगा व अपनी बात को अंजाम देने के उद्देश्य से प्रार्थिनी को दो बार ईंट फेंककर मारी, जिससे प्रार्थिनी सौभाग्यवश बच गई। तब वहां पर मौजूद ठेकेदार सत्य प्रकाश, पुत्र नामालूम,निवासी सभावाला द्वारा प्रार्थिनी को बचाया गया। परन्तु प्रार्थिनी को खतरा है, कि दानिश और उसके दोनो भाईयो से प्रार्थिनी की नाबालिग पुत्री व प्रार्थिनी के पति

को जान व इज्जत का खतरा है। अतः महोदय से निवेदन है, कि क्योंकि उपरोक्त मामला संज्ञेय प्रकृति का है, व नाबालिग के साथ छेड़खानी व जबरदस्ती करने की कोशिश के कारण संवेदनशील है। अतः दोषियो के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट करने की कृपा करे।

3. मामलें की विवेचना कर विवेचक द्वारा बयानात गवाहान लिये, पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता अंकित कराये गये, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी मीमो व सूचना मीमो तैयार किये गये, घटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्शा नजरी बनाया। बाद जॉच सम्पूर्ण विवेचना अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्त दानिश के विरूद्ध धारा 323,354,504,506 **भा0द0सं0 एवं धारा 7/8** लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम व अभियुक्त तालिब के विरूद्ध धारा 323,,504,506 **भा0द0सं0** के तहत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से दोषी होने का अभिवाक नहीं किया और अपने परीक्षण की याचना की।

5 अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया:–

Rank	Name	Nature of Evidence
पी0डब्ल्यू0–1	पीड़िता	तथ्य की साक्षी
पी0डब्ल्यू0–2	पीडिता की माता	तहरीरकर्ता
पी0डब्ल्यू0–3	हिमांशु वर्मा	पीड़ित के विद्यालय से संबंधित
पी0डब्ल्यू0–4	एस0आई0 नीमा रावत	विवेचक

6. बचाव पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य म ेंनिम्न को परीक्षित कराया गया:–

Rank	Name	Nature of Evidence
डी0डब्ल्यू0–1	पीड़िता की दादी	तथ्य की साक्षी
डी0डब्ल्यू0–2	पीड़िता के ताऊ	तथ्य की साक्षी
डी0डब्ल्यू0–3	अभियुक्तगण की माता	तथ्य की साक्षी
डी0डब्ल्यू0–4	पीड़िता के पिता	तथ्य की साक्षी

7. न्यायालय साक्षी– कोई नहीं ।

8. उक्त साक्षीगणों द्वारा निम्नलिखित अभियोजन दस्तावेजों व वस्तुओं को साबित किया गया:–

कम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**

1–	प्रदर्श पी–1/पी0 डब्ल्यू0–1	धारा 164 द0प्र0स0 के बयान
2–	प्रदर्श पी–2 /पी0डब्लू0–2	तहरीर
3–	प्रदर्श पी–3/पी0डब्लू0–3	अधिकृत पत्र
4–	प्रदर्श पी–4/पी0डब्लू0–3	एस0आर0 रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
5–	प्रदर्श पी–5/पी0डब्लू0–3	पूर्व विद्यालय की टी0सी0
6–	प्रदर्श पी–6/पी0डब्लू0–3	प्रमाणपत्र
7–	प्रदर्श पी–7/पी0डब्लू04	नक्शा नजरी
8–	प्रदर्श पी–8/पी0डब्लू04	धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान अंकित प्रार्थनापत्र
9–	प्रदर्श पी–9/पी0डब्लू04	धारा 164 द0प्र0सं0 के बयान अवलोकन प्रार्थनापत्र
10–	प्रदर्श पी–10/पी0डब्लू04	नोटिस धारा 41 सीआ0पी0सी0
11–	प्रदर्श पी–11/पी0डब्लू04	नोटिस धारा 41 सीआ0पी0सी0
12–	प्रदर्श पी–12/पी0डब्लू04	आरोपपत्र
13–	प्रदर्श पी–13/पी0डब्लू04	चिक एफ0आई0आर0

9. न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श– कोई नहीं ।

10. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये जिसमें अभियुक्त दानिश द्वारा अभियोजन कथानक को झूठा बताते हुए कथन किया है, कि वह निर्दोष है परिवार की पूर्व रंजिश के कारण झूठा फंसाया है। पीड़िता मेरे सगे चाचा की बेटी है। हमारा जमीन का मामला चल रहा है। पहले भी पीड़िता की माता ने मेरे पिता व मेरे विरूद्ध रेप का मुकदमा किया था बार–बार झूठे आरोप लगाकर मुकदमें करती रहती है तथा अभियुक्त तालिब द्वारा अभियोजन कथानक को झूठा बताते हुए कथन किया है, कि वह निर्दोष है गलत तथ्यो के आधार पर पारिवारिक रंजिश के कारण मुकदमा चला। सफाई साक्ष्य देने का कथन किया।

11. साक्षी पी0डब्ल्यू 01 पीड़िता ने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है, कि मेरी जन्मतिथि 25.06.2005 है। मैंने बारहवी तक की पढ़ाई की है। हम चार भाई बहन हैं। मैं तीसरे नम्बर की हूं। मैंने आगे पढ़ाई अभियुक्त दानिश के डर के कारण नहीं की क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। अभियुक्त दानिश मेरे सगे ताउ का बेटा है। हमारा घर और इनका घर अगल बगल में है। दानिश बहुत खतरनाक इंसान है और बहुत ज्यादा नशा करता है। वह स्मैक व ड्रक्स बहुत ज्यादा लेता है और हमेशा लड़ाई झगड़े में ही रहता है। लोग इससे बहुत डरते हैं। घटना से एक महीने पहले दानिश ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। जब मैं घर से बाहर जाती थी तक वह गन्दे गन्दे कमेन्ट करता

था और बोलता था कि तेरा फीगर कितना अच्छा है। तेरा बैक कितना अच्छा है। तू मेरी डार्लिंग बन जा। तूने कौन से नम्बर की ब्रा पहनी है और तेरी ब्रा का नम्बर क्या है। कहता था तू मेरे संग चल। वह हमेशा मुझे बहुत गन्दे गन्दे कमेन्ट करता था। मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया था। मेरी मम्मी और पिताजी को इसकी हरकतों के बारे में पता था। उन्होने इसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना और मेरे मम्मी और पिताजी के संग मार पिटाई की। दिनांक 18.06.2023 को समय शाम के छ : साड़े छः बजे का समय रहा होगा। **घर पर मैं और मेरा छोटा भाई घर पर अकेले थे।** मम्मी पापा बाजार जा रखे थे। बड़ा भाई एक दुकान पर था और दूसरा भाई पता नहीं कहां था। **बगल में इनका घर है वहां जीने से टाप कर यह हमारे घर आया था। मेरा छोटा भाई डर के मारे इसको देख कर दूसर कमरे में जाकर छुप गया था क्योंकि पहले अभियुक्त दानिश ने मेरे छोटे भाई के सामने मेरी मम्मी को मारा था तब से वह दानिश से डरता है और उसको देखते ही रोने लग जाता है।** फिर दानिश मुझे दूसरे कमरे में खींच कर ले गया वहां उसने पहले मुझे दो थप्पड़ मारे और मुझे डराने धमकाने लगा और मेरी जबरदस्ती सलवार खोलकर नीचे कर दी। **इसने दो बार नीचे मेरे प्राइवेट पार्ट पर उंगली करी थी। इसने मेरे पूरी बॉडी पर कमर पर छाती पर और सब जगह गन्दे तरीके से हाथ लगाया था** और मुझे इसने बैड पर गेर दिया था और मुझे कह रहा था कि आज तो मैं तुझे छोडूगां नहीं तेरे साथ करूगां ही करूगां। इसने मुझे धमकाया भी था कि तुम्हे जान से मार दूगां। **इतने में अम्मी कमरे में आ गयी तो दानिश का भाई तालिब तुरन्त ही आ गया क्योंकि दानिश ने तालिब को बोला था कि यदि इसकी अम्मी आ गयी तो तू तुरन्त आ जाना और मुझे बता देना।** मेरी मम्मी ने कहा कि **तुम लोगों ने हम लोगो ंको बहुत तंग कर रखा था। हम लोग तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाने चौकी जायेगें और मैंने भी कहा कि दानिश ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है मेरा जीना हराम कर दिया है।** अब हद हो गयी है मैं भी दानिश के खिलाफ गवाही दूगीं। **तो दानिश के भाई तालिब ने मेरे गले में चाकू रखा और धमकाया** कि तुम पुलिस वालों के पास गये तो **हम तेरे सारे परिवार को मार देगें।** तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। **हम लोग इन लोगों के डर के मारे दूसरी जगह मकान बना रहे थे। दानिश ने वहां आकर भी मेरी मम्मी और अब्बू का ईंट से मारा। ठेकेदार ने बचाया। वहां उसका भाई तालिब भी आ गया था। तब तालिब ने बोला कि तुम्हारा घर बुल्डोज़र से तुड़वा देगें।** जब मेरे साथ घटना घटी थी तब अपनी अम्मी और अब्बू के संग चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराने मैं भी गयी थी। चौकी में जब मुझ से पूछताछ करी गयी थी तब मैंने दानिश द्वारा अपने साथ कथित घटना

कारित के बारे में सब कुछ बता दिया था। कल दिनांक 10.01.2024 को शाम को चार बजे जब घर पर मैं अकेले थी तब दानिश, दानिश की पत्नी और उसकी अम्मी हमारे गेट पर आये मैंने दरवाजा नहीं खोला और बुआ के लड़के को फोन किया कि ये लोग गेट पर खड़े हैं तो बुआ के लड़के ने कहा कि तुम गेट मत खोलना। फिर मैंने ठेकेदार को फोन किया तो थोड़ी देरे में अम्मी आ गयी थी। इन लोगों को पता चल गया कि अम्मी आ गयी तो दानिश अपने गेट की तरफ चला गया और बाहर से ही अम्मी ने दानिश की अम्मी से बात की। तो दानिश की अम्मी ने कहा कि हमारा वकील तुम से बात करना चाहता है। समझौता कर लो। वरना तुम्हारी बेटी की शादी हम कहीं नहीं होने देगें। इन लोगों ने जब हमने रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो सारा खानदान लेकर आये थे और हम पर दबाव बनाया था कि तुम लोग समझौता कर लो वरना हम तुम्हे बिरादरी से निकाल देगें। ना तुम्हारी कोई लड़की लेगा और ना ही कोई लड़की देगा और ना ही तुम्हारे मरने जीने में कोई आयेगा। हमने मना कर दिया। रात को जब हमने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके कुछ समय पश्चात् रात को सबके सामन व पुलिस वालों के सामने दानिश ने बोला था कि मुझे तो जेल में वैसे भी जाना है तो तुझे मार कर ही जाउगां। केस तो लग ही गया है बलात्कार तो मैं तेरा करूगां ही करूगां। इसने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही हूं। जब मैं स्कूल जाती थी तो यह स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता था। आज जब मैं न्यायालय में आने के लिए घर से निकल रही थी तो रास्ते में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति अपनी गाड़ी को बहुत रेस दे रहा था मैंने मुड़ कर देखा तो दानिश का भाई तालिब था। उसने मुझे घूर कर इशारा कर धमकाया। आज पीड़िता बहुत डरी हुई है और बार बार रो रही है दरवाजे की तरफ देख रही है। पूछने पर बताया कि अभियुक्त तालिब को देख कर बहुत डर लगता है। मेरे मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष बयान हुए थे। पीड़िता को पत्रावली पर कागज संख्या 8क/01 लगायत 8क/02 164 सीआरपीसी के बयान पढ़कर सुनाये गये तो सुनकर गवाह ने कहा कि यह बयान मैंने दिये थे। बयानों पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। मैंने पुलिस को वह जगह दिखा दी थी। जहां दानिश ने मेरे साथ जबरदस्ती अश्लील हरकत, मार पिटाई, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी थी।

साक्षी ने **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है,कि मेरा बयान एक बार हुआ है। तारीख याद नहीं है। 161 सीआरपीसी के बयान के समय मेरे साथ मेरी अम्मी थे और पुलिस वाली थी। मैने अपने 161 सीआरपीसी में यह बात नहीं बताई थी कि दानिश स्मैक और ड्रक्स बहुत ज्यादा लेता है और हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करता है और

लोग इससे बहुत डरते है। आज पहली बार न्यायालय में बता रही हूं। घटना से एक माह पहले जब मुझे दानिश ने तंग करना शुरू किया था महीना मई का था तारीख मुझे ध्यान नहीं क्योंकि जब कभी भी मैं कहीं जाती थी तब मुझे तंग करता था। जब कमेन्ट करता था तब पुलिस में शिकायत नहीं की थी। **जब बत्तमीजी की थी तब की थी।** मैंने कमेन्ट वाली बात पुलिस चौकी में गये थे, बताई थी। अगर 161 सीआरपीसी के बयानों में अंकित नहीं है तो इसकी वजह मैं नहीं बता सकती। मेरे अम्मी अब्बू को दानिश के पूर्व की हरकतों के बारे में पता था। उन्होने दानिश को समझाया था लेकिन कोई पुलिस को शिकायत नही की थी। **20 की तारीख की सुबह 9 या साड़े नौ बजे दानिश की अम्मी अब्बू से लड़ाई हुई थी। मेरी अम्मी को कोई चोट नहीं आई थी** इसलिए उनका मेडिकल नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि अभियुक्त दानिश द्वारा मेरी मम्मी के साथ मारपीट ना की गयी हो और मेरे साथ कोई छेड़खानी ना की गयी हो। मेरी मुख्य परीक्षा का यह कथन ''इसने मेरे पूरी बॉडी पर कमर पर छाती पर और सब जगह गन्दे तरीके से हाथ लगाया था और मुझे इसने बैड पर गेर दिया था और मुझे कह रहा था कि आज तो मैं तुझे छोडूगां नहीं तेरे साथ करूगां ही करूगां। इसने मुझे धमकाया भी था कि तुम्हे जान से मार दूगा'', मैंने पुलिस और मजिस्ट्रेट साहब को बताई थी। अगर मेरे बयानों में बैड पर गेर दिया था वाली बात नहीं है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। ''आज तो मैं तुझे छोडूगां नहीं तेरे साथ करूगां ही करूगां'' वाली बात मेरे बयान में नहीं है तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती।मेरी मुख्य परीक्षा यह कथन कि ''दानिश का भाई तालिब तुरन्त ही आ गया क्योंकि दानिश ने तालिब को बोला था कि यदि इसकी अम्मी आ गयी तो तू तुरन्त आ जाना और मुझे बता देन'', यह बात मैंने पुलिस और मजिस्ट्रेट साहब को पहले भी बताई थी। मैंने अपने 161 के बयानों में ''इतने में उसने अपने भाई तालिब को भी वहां बुला लिया। उसने भी मेरे साथ मारपीट करी वह मेरे गले पर चाकू रखा बोला तुझे मैं जान से मार दूगां यदि तुने कुछ बताया तो। इतने में मेरी मम्मी आ गयी। मेरी मम्मी ने मुझे उनसे बचाया। मैं डर के मारे चिल्ला भी नहीं पाई'', मेरे दोनो बयान सही हैं।मेरी मुख्य परीक्षा में ''दानिश ने तालिब को बोला था कि यदि इसकी अम्मी आ गयी तो तू तुरन्त आ जाना'', यह बात मैंने पुलिस को बताई थी। अगर अंकित नहीं है तो इसकी वजह मैं नहीं बता सकती। **सीसीटीवी कैमरे हमारे घर के बाहर जहां बन्दा एन्टर होता है वहां लगे हुए हैं।** अभी दानिश ने उसका चार्चर निकाल रखा है। **स्वयं कहा कि दानिश उपर छत के रास्ते से घर में आया था।** मैंने कैमरे वाली बात और दानिश छत से आया था वाली बात मैंने चौकी में बताई थी, अंकित नहीं है इसकी मैं वजह नहीं बता

सकती। यह कहना गलत है कि मेरे साथ कोई घटना ना घटी हो और हमारा आपस में सम्पत्ती का विवाद हो इसलिए यह झूठी रिपोर्ट लिखाई हो।

प्रश्न– आज से पहले आपके अपने मामा से कब बात हुई थी?
उत्तर– मेरे तो मामा ही नहीं है।
प्रश्न– आपकी अपने खालू से कब बात हुई थी?
उत्तर– मैं खालू से बात नहीं करती। अम्मी करती हैं।स्वयं कहा कि मैं बड़ो से बात नहीं करती।

मेरी बुआ के लड़के से कल शाम को चार बजे बात हुई थी मैंने ही उसको कॉल की थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने कल से पहले बुआ के लड़के से कब बात करी थी। मैंने सब बातें बता रखी हैं। ''मेरी मुख्य परीक्षा की पैरा नम्बर 8 में सारा खानदान लेकर आये थे..... हमने मना कर दिया'', आज पहली बार न्यायालय में बताई। स्वंय कहा कि यह बातें मैंने पुलिस को बताई थी। हमने पुलिस को यह खबर नहीं दी थी कि कल दानिश, उसकी पत्नी, उसकी अम्मी हमारे घर पर फैसले के लिए आये थे। दानिश का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। **अप्रैल में इसने रोजा रखा हुआ था। रोजा खोलने के लिए छत से नीचे आ रहा था। नशा किया हुआ था। शायद तभी गिरा होगा। इसकी एक टांग टूटी हुई है।** रोड लगा है कि नही पता नहीं है परन्तु बैसाखी लेकर चलता है। जब कोई नहीं होता है तो सीधा चलता है। दानिश एक साल पहले जेल गया था। मुझे याद नहीं है कि मेरी मम्मी के साथ मारपीट होने के कितने दिन के बाद मेरे मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुए थे। मेरी मुख्य परीक्षा में कथन की ''आज हम न्यायालय में ..... घूर कर इशार कर धमकाया'' हमने अपने घर से लेकर न्यायालय के बीच में पड़ने वाले किसी भी थाने, चौकी में शिकायत नहीं की क्योंकि हमे 10 बजे कोर्ट पहुंचना था। मैं न्यायालय में बयान देने बस से आई हूं। रोडवेज बस में आये थे उसमें बहुत सवारी थी।

प्रश्न– जब आपके मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुए थे क्या आपको पुलिस वाली मेडम ने पहले समझा दिया था?
उत्तर– मुझे पुलिस ने समझाया या नही, मुझे याद नहीं है।

मैंने विवेचक महोदय को कोई घटना स्थल नहीं बताया था। मेरे अब्बू ने बताया था क्योंकि हम घर पर नहीं थे। मेरे सामने कॉपी पर बनाया था घर पर आकर नक्शा नहीं बनाया था चौकी पर बनाया था। यह कहना गलत है कि मेरे साथ कोई छेड़खानी ना हुई हो बल्कि मेरी मां के साथ हुई हो और हमने दानिश पर दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा बनाया हो।

12. साक्षी पी0डब्लू0 2 पीड़िता की माता ने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है, कि मैं पीड़िता की माता हूं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। थोड़ा बहुत लिखना जानती हूं। मेरे चार

बच्चे हैं। पीड़िता तीसरे नम्बर की है। **अभियुक्त दानिश व तालिब मेरे सगे जेठ के बेटे हैं। इनका घर हमारे घर के पीछे है।** मेरे पति चार भाई हैं। हमारे ससुर ने इन चारों के नाम अलग अलग सम्पत्ति का हिस्सा दे दिया था और सब लोग अपने अपने हिस्से में रहते हैं। अभियुक्त दानिश जो कि रिश्ते में पीड़िता का सगा भाई लगता है। हमेशा नशे में ही रहता है और मौहल्ले की लड़कियों को बुरी नजर से देखता है। घर के परिवार में जो भी लड़कियां हैं उन पर भी दानिश गंदी नजर रखता है और आये दिन गन्दे गन्दे शब्द लड़कियों को बोलता रहता है। **जिस समय पीड़िता 17 वर्ष की थी तो पीड़िता ने बताया कि दानिश आये दिन लगभग एक माह से उसको तंग करता रहता है और छेड़खानी करता रहता था।** जब भी वह घर से बाहर निकलती थी तो बोलता था कि तेरा शरीर बहुत अच्छा है। तू माल लग रही है। मैं तुझे छोडूगां नहीं। मौका मिलते ही मैं तुझे चो0.... दूगां। दिंनांक 18.06.2023 को लगभग शाम के छः बजे करीब मैं दुकान में सामान लेने गयी थी। उस समय पीड़िता घर में अकेले अपने भाई के साथ घर पर थी। **जब मैं वापस आई तो उपर वाले कमरे में गयी देखा कि मेरी बेटी का चेहरा बहुत डरा हुआ सा व लाल दिख रहा था और उसका पैजामा नीचे था और उसके प्राइवेट पार्ट पर दानिश हाथ लगा रहा था।** मैंने तुरन्त ही अपनी बेटी को दानिश से छुड़वाया। **यह मैंने स्वयं अपनी आंखो से देखा था।** मेरा छोटा बेटा रूम में छिपा हुआ था क्योंकि वह दानिश से बहुत डरता है। मैंने दानिश को बहुत डांटा और बोला कि तुझे शर्म नहीं आ रही है तेरी बहन है। तो दानिश ने कहा कि कोई बहन वहन नहीं है। तो मैंने दानिश को कहा कि अगर तुम नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करूगीं। तो दानिश ने कहा कि तुम्हे जो करना है कर लो। अगर तुम पुलिस में गयी तो मैं तेरी बेटी और पति को मार दूगां। दानिश ने अपने भाई तालिब को बुला लिया। तालिब ने भी हमे धमकाया कि अगर तुमने दानिश के खिलाफ पुलिस में कुछ बोला तो हम तुम्हे जान से मार देगें। तालिब और दानिश की जेब में हमेशा चाकू रहती है। **तालिब ने चाकू मेरे गले पर रखा और मुझे धमकाया था।** मैंने अभियुक्त दानिश व उसके परिवार के लिए अपने मौहल्ले में जाकर शिकायत करी थी तो उन्होने बोला कि इनसे कौन मुंह लगे। इनसे तो सारा मौहल्ला परेशान है। अगर हमने इनको कुछ बोला तो ये कहीं हमारी बेटी के साथ भी कुछ गलत ना करे। दिनांक 20.06.2023 को सुबह नौ साड़े नौ बजे की बात है हमारा दूसरा मकान मदिना बस्ती में बन रहा है। वहां पर दानिश आया और उसने आते ही मेरे पति व मुझे गन्दी गन्दी गालियां देनी शुरू करी और धमकाया कि तुम लोग बाज़ नहीं आ रहे। हम तुम्हे जान से मार देगें। दानिश ने ईंट मेरी तरफ फेंका लेकिन मैं पीछे की तरफ हो

गयी थी इसलिए ईंट मुझे नहीं लगी। वहां पर मौके पर ठेकेदार व मजदूर थे। उन्होने दानिश को बोला कि ऐसा मत करो ये तुम्हारे चाचा चाची हैं। तो दानिश ने बोला कि भाड़ में जाये चाचा–चाची। जब दानिश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तब मेरे द्वारा अभियुक्त दानिश व तालिब के विरूद्ध चौकी विकाश नगर में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पत्रावली पर कागज सख्या 5क/01 लगायत 5क/02 टाइप शुदा है। पढ़कर गवाह ने कहा कि यह तहरीर पढ़कर समझकर मैंने हस्ताक्षर किये थे।

साक्षी ने **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है, कि तहरीर मैनें किसी टाईप वाले से कराई थी। तहसील में किसी अधिवक्ता से टाईप नहीं कराई थी। तहरीर थाने पर दी थी तथा एस0डी0एम0 के यहां दी थी। अन्य कहीं नहीं दी थी। तहरीर पढकर साईन किए थे। मैं पढी लिखी नहीं हूॅ। लेकिन थोडा पढना जानती हूॅ। पुलिस ने मेरे से कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही बयान लिये थे। स्वयं कहा कि जब मैने तहरीर दी थी तो मैने घटना के बारे में उस दिन पुलिस को बताया था। यह कहना सही है कि दानिश व तालिब मेरे सगे जेठ के लडके है। दानिश शादीशुदा है। दानिश के दो बच्चे भी है। दानिश और तीन भाई है। यह कहना सही है, कि दानिश के तीसरे भाई का नाम मुकदमें में नहीं लिखवाया है। दानिश ने मेरे साथ अकेले मारपीट की थी।उसके साथ उसका कोई भाई नहीं था। दानिश द्वारा मेरे साथ सुबह नौ या साढे नौ बजे के समय मारपीट की थी। रिपोर्ट मैनें उसी दिन कराई थी। समय का मुझे ध्यान नहीं । रिपोर्ट लिखाने मै, मेरे पति व मेरी बेटी गये थे। मारपीट वाली घटना दिनांक 20.06.2023 की है। मैनें अपनी पुत्री के साथ हुई घटना दिनांक 18.06.2023 के सबंध में कोई तहरीर नहीं दी थी। पीडिता के स्कूल में प्रवेश के समय जन्म प्रमाणपत्र लगाया था। मैने पुलिस को पीडिता की आयु से संबंधित से कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया थां । पीडिता का जन्म प्रमाणपत्र नगर पालिका में बनवाया था। जो मैं आज लेकर नहीं आई हूॅ। नगर पालिका का प्रमाणपत्र पत्रावली पर नही है स्कूल का है। मेरे मुख्य परीक्षा का कथन तालिब व दानिश के जेब में हमेशा चाकू रहती है यह बात पहली बार मैं न्यायालय में बता रही हूॅ। स्वय कहा कि यह बात मैनें पुलिस को बताई थी। उन्होने यह लिखी या नहीं, मुझे नहीं पता। मैने मारपीट के संबंध में कोई मेडिकल नहीं करवाया था। ईट मुझे फेंक कर मारी थी परन्तु मुझे नहीं लगी। यह कहना गलत है कि अभियुक्त दानिश द्वारा मेरी पुत्री के साथ कोई गलत हरकत ना की गई हो। यह कहना भी गलत है, कि हमारा सम्पत्ति का विवाद अभियुक्तगण से चल रहा हो इसलिए झूठा मुकदमा पंजीकृत करवाया। **यह कहना सही है कि मेरे घर के गेट के पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है जो नहीं चल रहा है। यह कहना सही है**

कि मेरा पुत्र व दानिश स्मैक के केश में जेल जा रखे है। यह बात सही है कि मेरे बेटे के उपर स्मैक के कई केस है। यह कहना गलत है कि हमारा व दानिश का स्मैक व चरस के ग्राहक को लेकर झगड़ा हो।

13. साक्षी पी0डब्ल्यू 03 हिमांशु वर्मा, पीडिता के विद्यालय से संबंधित ने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है, कि मैं आ ..... विकासनगर में वर्ष 2008 से उक्त पद पर कार्यरत हूं। आज मैं माननीय न्यायालय के समक्ष पीड़िता का हमारे विद्यालय से शिक्षा से सम्बन्धित मूल एस आर लेकर प्रधानाचार्य द्वारा अधिकृत होकर उपस्थित हुआ हूं। अधिकृत पत्र मेरे नाम पर जारी किया गया है, पर प्रधानाचार्य उपरोक्त के हस्ताक्षर व विद्यालय की मोहर लगी हुई है, को पत्रावली पर दाखिल किया जा रहा है। एस आर रजिस्टर के क्रमांक संख्या 24153 में पीड़िता का नाम, उसके माता–पिता का नाम, उसका पता व पीड़िता की जन्मतिथि 25.06.2005 अंकित है। पीड़िता द्वारा हमारे विद्यालय में दिनांक 01.04.2016 को कक्षा छः में प्रवेश लिया था तथा बारवी परीक्षा उर्त्तीण करने के पश्चात् पीड़िता द्वारा टीसी प्राप्त कर विद्यालय छोड़ दिया गया। एस आर रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रधानाचार्य उपरोक्त द्वारा हस्ताक्षरित व विद्यालय की मोहर लगी हुई है। हमारे विद्यालय से पूर्व पीड़िता द्वारा रा0..... विकासनगर से पूर्व शिक्षा ग्रहण की गयी थी। पूर्व विद्यालय की टीसी की फोटोप्रति को स्वहस्ताक्षरित किया गया, को मूल से मिलान कर। पूर्व विद्यालय की टीसी में पीड़िता की जन्मतिथि 25.06.2005 अंकित थी। पत्रावली पर कागज संख्या 6क हमारे विद्यालय द्वारा जारी पीड़िता का टीसी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 25.06.2005 अंकित है, पर प्रधानाचार्य उपरोक्त के हस्ताक्षर व विद्यालय की मोहर लगी हुई है । मैं उपरोक्त प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर व हस्तलेख की पुष्टि करता हूं। यह वर्तमान में विद्यालय में ही उक्त पद पर कार्यरत हैं।

साक्षी ने **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है, कि पीड़िता ने हमारे यहां कक्षा छः में प्रवेश लिया था। प्रथम स्कूल रा0..... विकासनगर था। यह कहना सही है कि पुराने स्कूल की टीसी, एडमिशन रजिस्टर की प्रतिलिपी नहीं है और ना ही इस पर स्कूल का नाम छपा है। प्रथम स्कूल में पीड़िता का एडमिशन किसने कराया था मुझे इसकी जानकारी नहीं है और ना ही इसकी जानकारी है कि प्रथम स्कूल में जन्मतिथि किस आधार पर लिखाई गयी थी।

14. साक्षी पी0डब्ल्यू 04 एस0आई0 नीमा रावत ने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है, कि दिनांक 24.06.2023 को मेरी तैनाती थाना विकासनगर पर बतौर उपनिरीक्षक के पद पर थी। उक्त तिथि को वादिनी मुकदमा की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या

219/2023 धारा– 323,354,504,506 आईपीसी व 7/8 पोक्सो एक्ट बनाम दानिश आदि पंजिकृत हो थाना प्रभारी महोदय के आदेशानुसार विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात् मेरे द्वारा नकलचिक, नकलरपट, बयान एफआईआर लेखक अंकित किये गये। दिनांक 26.06.2023 को बयान वादिनी व बयान पीड़िता अंकित किये गये व पीड़िता के स्कूल प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 25.06.2005 अंकित थी। पत्रावली पर कागज संख्या 11ख/12 संलग्न है। दिनांक 29.06.2023 को बयान गवाह नक्शा नजरी, निरीक्षण घ ाटना स्थल की कार्यवाही की गयी। जो मेरे हस्तलेख मय हस्ताक्षर में है। दिनांक 30. 06.2023 को पीड़िता के धारा 164 सीआरपीसी के बयान अंकित कराने हेतु माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, की अनुमति से मजिस्टेट न्यायालय में पीड़िता के बयान अंकित करा बयानों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर कागज संख्या 9क/02 लगायत 9क/03 प्रार्थना पत्र मेरे हस्तलेख मय हस्ताक्षर में है। दिनांक 01.07.2023 को पीड़िता का प्रमाणित आयु प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाचार्य से पत्राचार किया गया। प्रार्थना पत्र पत्रावली पर कागज संख्या 11ख/11 फोटोप्रति संलग्न है। दिनांक 08.07.2023 को अभियुक्तगणों के बयान अंकित कर धारा 41 सीआरपीसी नोटिस तामिल कराया गया। पत्रावली पर कागज संख्या 11ख/06 अभियुक्त तालिब व कागज संख्या 11ख/08 अभियुक्त का दानिश का धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस मेरे द्वारा भरा गया था। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, को मेरे द्वारा तामिल कराया गया था। दिनांक 19.07.2023 को बयान गवाह प्रधानाचार्य अंकित किये गये। आयु प्रमाण पत्र प्राप्त कर अवलोकन किया गया जो पत्रावली पर कागज संख्या 6क संलग्न है।दिनांक 22.07.2023 को बयान गवाह अंकित कर मुकदमा उपरोक्त में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोप पत्र कम्पयूटर द्वारा टाइप है, के अन्तिम पृष्ठ पर आरोप पत्र दायर करने वाले अधिकारी वाले कॉलम पर मेरे हस्ताक्षर व थाने की मोहर लगी हुई हैं। आरोप पत्र पर तत्कालीन थाना प्रभारी संजय कुमार के हस्ताक्षर हैं। मैं उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करती हूं। मैंने उनको उनके कार्यकाल के दौरान थाने में कई दस्तावेजों पर लिखते, पढ़ते व हस्ताक्षर करते देखा है। उपरोक्त मुकदमें की चिक एफआईआर हेड कॉ0 267 सुभाष रावत के द्वारा सीसीटीएनएस कार्यालय पर कम्पयूटर द्वारा टाइप की गयी थी, पर उपरोक्त थाना प्रभारी के हस्ताक्षर व थाने की मोहर लगी हुई है। चिक एफआईआर का खुलासा जीडी नम्बर 28 पर किया गया है। जीडी पत्रावली पर कागज संख्या 10क/01 संलग्न है।

साक्षी ने **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है, कि **मुझे विवेचना में पता चल गया था कि अभियुक्त तथा पीड़ित के परिवार के बीच पूर्व से पारिवारिक विवाद है**। मुझे विवेचना में यह नहीं पता चला कि पीड़िता के माता ने अभियुक्त दानिश तथा उसके पिता पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया था। मुझे यह पता लग गया था कि पीड़िता के भाई तथा अभियुक्त स्मैक के मामले में संयुक्त रूप से लिप्त रहे हैं। प्रदर्श पी0–05 जो टीसी है को पत्रावली पर कागज संख्या 24ए है, मुझे विवेचना में प्राप्त नहीं हुआ इसलिए मैं यह नहीं बता सकती कि यह स्कूल मान्यता प्राप्त था या नहीं। विवेचना के दौरान मेरे सामने ऐसी कोई बात नही आई कि अभियुक्तगणों ने पीड़िता परिवार पर इस मामले में फैसला करने का दबाव डाला है। अभियुक्त तालिब से किसी चाकू अथवा किसी अन्य हथियार की बरामदगी नहीं हुई थी। अभियुक्तगणों से जो 41 सीआरपीसी नोटिस के उपरान्त पूछताछ की थी उसका कोई तस्करा सीडी में नहीं है। **मैंने घटना स्थल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की चैकिंग की थी लेकिन घटना के सम्बन्ध में कोई फुटेज उपलब्ध नहीं थी।** यह कहना गलत है कि मैंने सही तफ्तीश ना की हो।

15. साक्षी डी0डब्ल्यू 01 पीड़िता की दादी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है, कि अभियुक्त दानिश व तालिब मेरे दूसरे बेटे के बच्चे हैं और पीड़िता मेरे तीसरे नम्बर के बेटे की बेटी है। दानिश नशा नहीं करता है। मैं हमेशा घर पर ही रहती थी और मेरे सारे बच्चे और पोता पोती सब एक साथ होते थे। पीड़िता दानिश की बहन लगती है। दानिश ने कभी भी पीड़िता के साथ कोई छेड़खानी गलत हरकत नहीं की थी और ना ही तालिब ने दानिश की मदद करी थी। पीड़िता के पिता व दानिश व तालिब के पिता का सम्पत्ति को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था। इसी सम्पत्ति के विवाद को लेकर पीड़िता व उसके परिजन ने दानिश वह तालिब के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। जिस समय की घटना पीड़िता द्वारा बताई जा रही है उस समय मैं घर पर मौजूद थी। यदि कोई घटना हुई होती तो सबसे पहले मुझे पता चलता।

साक्षी ने **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है, कि यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्त दानिश व तालिब को बचाने के लिए सही बात न्यायालय को ना बता रही हूं . यह कहना भी गलत है कि दानिश नशा करता हो और नशे की हालत में पीड़िता के साथ अश्लील छेड़खानी की हो और तालिब और दानिश ने पीड़िता के साथ मार पिटाई गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी हो।

16. साक्षी डी0डब्ल्यू 02 पीड़िता के ताऊ ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है, किअभियुक्त दानिश व तालिब मेरे दूसरे भाई के बच्चे हैं और पीड़िता मेरे तीसरे नम्बर

के भाई की बेटी है। दानिश नशा नहीं करता है। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन मैं घर पर ही था तथा मेरा घर मेरे दोनो भाईयो के साथ, दोनो भाईयो के घर के बीच में है। मेरे दोनो छोटे भाईयो के बीच में आपसी जमीनी विवाद चला आ रहा है। जिस कारण घटना वाली तारीख को इनकी आपस में कहा सुनी हो रही थी। घ ाटना वाले समय पर अभियुक्त दानिश के पैर में राड डली हुई थी। जिस कारण वह बैसाखी का सहारा लेकर चलता था। जो कि अभी वर्तमान में भी डली हुई है। दानिश ने कभी भी पीड़िता के साथ कोई छेड़खानी गलत हरकत नहीं की थी और ना ही तालिब ने दानिश की मदद करी थी। पीड़िता के पिता व दानिश व तालिब के पिता का सम्पत्ति को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था। इसी सम्पत्ति के विवाद को लेकर पीड़िता व उसके परिजन ने दानिश वह तालिब के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। जिस समय की घटना पीड़िता द्वारा बताई जा रही है उस समय मैं घर पर मौजूद था। यदि कोई घटना हुई होती तो सबसे पहले मुझे पता चलता।

साक्षी ने **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है, कि यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्त दानिश व तालिब को बचाने के लिए सही बात न्यायालय को ना बता रही हूं। यह बात सही है कि पीड़िता भी मेरी सगी भतीजी लगती है। यह कहना भी गलत है कि दानिश नशा करता हो और नशे की हालत में पीड़िता के साथ अश्लील छेड़खानी की हो और तालिब और दानिश ने पीड़िता के साथ मार पिटाई गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी हो। यह कहना गलत है, कि पीड़िता के परिजन व दानिश के परिजन की आपस में सम्पत्ति को लेकर विवाद है और दानिश और तालिब को पीड़िता के परिजन द्वारा झूठा फंसाया गया हो। यह कहना गलत है कि दानिश ओर तालिब मेरे सगे भतीजे हो रिश्तेदारी के नाते उनको बचाने के मैं सही बात जानबूझकर ना बता रहा हूँ।

17. साक्षी डी0डब्ल्यू 03 अभियुक्तगण की माता ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है, कि अभियुक्त दानिश व तालिब मेरे बच्चे हैं। पीड़िता मेरे देवर की बेटी है। मैं हमेशा घ ार पर ही रहती हूं। मेरे सारे बच्चे पोता व पोती एक साथ घर पर ही रहते हैं। पीड़िता दानिश व तालिब की बहन लगती है। दानिश ने पीड़िता के साथ कभी गलत हरकत व छेड़खानी नहीं की और ना ही तालिब ने दानिश की मदद की थी। पीड़िता के पिता व हम लोगों का आपस में सम्पत्ति का विवाद होता रहता है उसी विवाद को लेकर पीड़िता के पिता ने मेरे बच्चों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करायी थी। जिस समय की घटना बताई जा ही है उस समय मैं घर पर थी। अगर ऐसी कोई घटना होती तो सबसे पहले मुझे पता चलती। जिस समय पीड़िता द्वारा दानिश के बारे में छेड़खानी

वाली बात बताई गयी है उस समय दानिश के पैर में रोड डली हुई थी और वह बिस्तर में पड़ा हुआ था।

साक्षी ने **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है, कि यह कहना गलत है कि अभियुक्त दानिश व तालिब की मां होने के कारण मैं सही बात न्यायालय का ना बता रही हूं।

18. साक्षी डी0डब्ल्यू 04 पीड़िता के पिता ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है, किअभियुक्त दानिश व तालिब मेरे सगे भतीजे हैं। पीड़िता मेरी बेटी है। मेरे तीन बेटे और एक बेटी है। घटना वाले दिन मैं अपने घर पर ही मौजूद था। अभियुक्तगण से हमारा पारिवारिक झगड़ा चल रहा है। जो कि काफी पुराने टाइम से चल रहा है। सम्पत्ति को लेकर विवाद होने पर कहा सुनी हो गयी। मौहल्ले वालों के दबाव में मेरी पत्नी ने इन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट करा दी। घटना के समय अभियुक्त दानिश बैसाखी लेकर चलता था उसके पैर में रोड लगी हुई थी। अभियुक्त दानिश और तालिब द्वारा मेरी बेटी के साथ कोई भी गन्दी हरकत व गाली गलौच नहीं की गयी थी।

साक्षी ने **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है,कि यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण मेरे सगे भतीजे हों और परिवार वालों के दबाव में इन दोनों
को बचाने के लिए मैं सही बात न्यायालय को ना बता रहा हूं।

19. मैनें राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का भली भॉति परिशीलन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

20. न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या घटना की तिथि को पीड़िता बालक है? पी0डब्लू01 पीड़िता के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी जन्म तिथि 25.06.2005 होना व 12वी तक पढाई किया जाना बताया है। इस साक्षी से इस संबंध में कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है। पी0डब्लू0 8 हिमांशु वर्मा पीड़िता की आयु से संबंधित साक्षी के द्वारा पीड़िता के शैक्षिक दस्तावेज एस0आर0 रजिस्टर प्रदर्श पी–4 के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 25.06.2005 अंकित होना व पीड़िता को अपने विद्यालय में दिनांक 01.04.2016 को कक्षा 6 में प्रवेश लिया जाना बताया है। इस साक्षी ने पीड़िता की आयु के संबंध में कोई प्रतिकूल कथन नहीं किया है। पीडित की आयु को अभियुक्त की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है ना ही खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से पीड़िता की जन्मतिथि 25.06.2005 होना साबित है। अभियोजन के अनुसार इस

मामले में घटना दिनांक 18.06.2023 की है। उपरोक्त तिथि को पीड़ित 17 वर्ष, 11 माह, 23 दिन की आयु का नाबालिग बालिका है।

21. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप है, कि उनके द्वारा दिनांक 18.06.2023 को पीड़िता के साथ मारपीटकर उसे उपहति कारित की, गाली गलौज किया व जान से मारने की धमकी दी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त दानिश पर पीड़िता के साथ अश्लील छेड़छाड कर लैगिक हमला किये जाने का आरोप है।

22. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पीड़िता व अभियुक्त आपस में चचेरे भाई बहन है। उनके मध्य पारिवारिक विवाद चल रहा है। घर बनाने को लेकर झगड़ा था। इसलिए झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया। 06 दिन का गैप भरने के लिए पुरानी घटना दिखाई गई।

23. अभियुक्त दानिश पर दिनांक 18.06.2023 को पीड़िता के साथ छेडछाड किये जाने का आरोप वादी पक्ष के द्वारा लगाया गया है एवं अभियुक्तगण पर पीड़िता के साथ मारपीट कर गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है। तहरीर 5क के अनुसार अभियुक्त दानिश पीड़िता को पिछले एक माह से लगातार छेडखानी कर रहा था। दिनांक 18.06.2023 को समय लगभग शाम के 6 बजे जब प्रार्थिनी दुकान में सामान लेने गई थी तब पीड़िता घर पर अकेली थी। **जब प्रार्थिनी घर वापस पहुॅची तो देखा उक्त दानिश न प्रार्थिनी की पुत्री के साथ थप्पड मारकर व डरा धमकाकर उसका नाड़ा जबरन खोल कर पैजामा नीचे किये हुए था और उसकी निजी अंगो पर हाथ लगा रहा था। प्रार्थिनी द्वारा किसी तरह अपनी बेटी को छुडाया गया और पुलिस में जाने की बात की तो उक्त दानिश द्वारा कहा गया कि अगर तू पुलिस में गई तो मुझे तेरे पति को और तेरी बेटी को चाकू घोपकर खत्म कर दूंगा। इसके पश्चात उक्त दानिश ने अपने भाई ताबिल को भी बुला लिया और तालिब ने प्रार्थिनी के गले में चाकू रखा और उसने धमकी दी कि मेरे भाई के खिलाफ किसी को भी कुछ बताया तो तेरे परिवार को जान से मार दूंगा।** तहरीर में दिनांक 20.06.2023 को समय लगभग साढे नौ बजे प्रातः जब वादिनी जहां पर उसका घर बन रहा है वहां पर दानिश का आ जाना और गन्दी गन्दी मा बहन की गालिया देने लगना व जान से मारने की धमकी देने व प्रार्थिनी को दो बार ईंट फेंककर मारने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार तहरीर के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि तहरीर के अनुसार पीड़िता के साथ छेड छाड की घटना दिनांक 18.06.2023 की बताई गई है व दिनांक 20.06. 2023 की जो घटना बताई गई है वहां पर अभियुक्त दानिश का आना, मां बहन की

गन्दी गन्दी गाली देना व जान से मारने की धमकी दिये जाने का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त तहरीर दिनांक 20.06.2023 को संबंधित थाने में दी गई है। जो कि दिनाक 24.06.2023 को समय 12:18 बजे पंजीकृत हुई है।

24. 8क पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 द0प्र0सं. में पीड़िता ने कथन किया है, कि **18 तारीख जून को अम्मी बाजार गई थी अब्बू के साथ। दानिश का घर मेरे घर के बगल में है। मैं घर पर अपने 7–8 साल के भाई के साथ थी। दानिश मेरे घ ार में आया मैं उपर वाले कमरे में थी। दानिश ने मेरे दो थप्पड मारे मुझे इधर उधर हाथ लगाने लगा और मेरी सलवार निकाल दी थोडी और उसने मेरे नीचे उंगली डालने की कोशिश की और कहा किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। फिर मेरे अम्मी अब्बू आ गये। तब हम पुलिस जाने लगे तो भाई ने कहा गर्दन पर चाकू रखकर बोला कि जान से मार दूंगा। फिर हम वकील के पास गये फिर उसने एप्लीकेशन लिखी फिर चौकी में दे दी। पी0डब्लू0 1**पीडिता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है, कि उसने 12वी तक की पढाई की है। उसने आगे पढाई दानिश के डर के कारण नहीं की। क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। दानिश उसके सगे ताउ का बेटा है। हमारा घर और इनका घर अगल बगल में है। घटना से एक महीने पहले दानिश ने उसे तंग करना शुरू कर दिया जब वह घर के बाहर जाती थी तब वह गन्दें कमेंट करता था और बोलता था कि तेरा फिगर कितना अच्छा है, तेरी बैक कितना अच्छा है, तू उसकी डालिंग बन जा। वह हमेशा उसे बहुत गन्दे गन्दे कमेंट करता था। उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। उसके मम्मी और पिताजी को इसकी हरकतो के बारे में पता था। उन्होनें इसे बहुत समझाया लेकिन यह नहीं माना और उसके मम्मी और पापा के संग पिटाई की। दिनांक 18. 06.2023 को समय शाम के छः साड़े छः बजे का समय रहा होगा। घर पर मैं और मेरा छोटा भाई घर पर अकेले थे। मम्मी पापा बाजार जा रखे थे। बड़ा भाई एक दुकान पर था और दूसरा भाई पता नहीं कहां था। **बगल में इनका घर है वहां जीने से टाप कर यह हमारे घर आया था।** मेरा छोटा भाई डर के मारे इसको देख कर दूसर कमरे में जाकर छुप गया था क्योंकि पहले अभियुक्त दानिश ने मेरे छोटे भाई के सामने मेरी मम्मी को मारा था तब से वह दानिश से डरता है और उसको देखते ही रोने लग जाता है। फिर **दानिश मुझे दूसरे कमरे में खींच कर ले गया वहां उसने पहले मुझे दो थप्पड़ मारे और मुझे डराने धमकाने लगा और मेरी जबरदस्ती सलवार खोलकर नीचे कर दी। इसने दो बार नीचे मेरे प्राइवेट पार्ट पर उंगली करी थी।** इसने मेरे पूरी बॉडी पर कमर पर छाती पर और सब जगह गन्दे तरीके से

हाथ लगाया था और मुझे इसने बैड पर गेर दिया था और मुझे कह रहा था कि आज तो मैं तुझे छोडूगां नहीं तेरे साथ करूगां ही करूगां। इसने मुझे धमकाया भी था कि तुम्हे जान से मार दूगां। **इतने में अम्मी कमरे में आ गयी तो दानिश का भाई तालिब तुरन्त ही आ गया क्योंकि दानिश ने तालिब को बोला था कि यदि इसकी अम्मी आ गयी तो तू तुरन्त आ जाना और मुझे बता देना।** पी0डब्लू02 पीड़िता की माता ने अपनी मुख्य परीक्षाके साक्ष्य में कथन किया है, कि दिंनांक 18.06.2023 को लगभग शाम के छः बजे करीब मैं दुकान में सामान लेने गयी थी। उस समय पीड़िता घर में अकेले अपने भाई के साथ घर पर थी। जब मैं वापस आई तो उपर वाले कमरे में गयी देखा कि मेरी बेटी का चेहरा बहुत डरा हुआ सा व लाल दिख रहा था और उसका पैजामा नीचे था और उसके प्राइवेट पार्ट पर दानिश हाथ लगा रहा था। मैंने तुरन्त ही अपनी बेटी को दानिश से छुड़वाया। यह मैंने स्वयं अपनी आंखो से देखा था। इस साक्षी ने दानिश को डाटने का कथन किया है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि दानिश ने अपने भाई तालिब को बुला लिया तालिब ने भी हमें धमकाया कि अगर तुमने दानिश के खिलाफ पुलिस में कुछ बोला तो हम तुम्हे जान से मार देंगें। तालिब और दानिश की जेब में हमेशा चाकू रहती है। तालिब ने चाकू उसके गले पर रखा और उसे धमकाया था। उसने अभियुक्त दानिश व उसके परिवार के लिए मौहल्ले में जाकर शिकायत करी थी। तो उन्होनें बोला कि इनसे कौन मुॅह लगे इनसे तो सारा मौहल्ला परेशान है। दिनांक 20.06.2023 को सुबह नौ साड़े नौ बजे की बात है हमारा दूसरा मकान मदिना बस्ती में बन रहा है। वहां पर दानिश आया और उसने आते ही मेरे पति व मुझे गन्दी गन्दी गालियां देनी शुरू करी और धमकाया कि तुम लोग बाज़ नहीं आ रहे। हम तुम्हे जान से मार देगें। दानिश ने ईंट मेरी तरफ फेंका लेकिन मैं पीछे की तरफ हो गयी थी इसलिए ईंट मुझे नहीं लगी। वहां पर मौके पर ठेकेदार व मजदूर थे। उन्होने दानिश को बोला कि ऐसा मत करो ये तुम्हारे चाचा चाची हैं। तो दानिश ने बोला कि भाड़ में जाये चाचा–चाची। डी0डब्लू04 पीडिता के पिता जो कि पीडिता एवं पीडिता की माता के साक्ष्य के अनुसार घटना के समय उपस्थित थे। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है, कि पीडिता उसकी बेटी है। घटना वाले दिन वह अपने घर पर ही मौजूद था। **अभियुक्तगण से हमारा पारिवारिक झगड़ा चल रहा है। जो कि काफी पुराने टाईम से चल रहा है। सम्पत्ति को लेकर विवाद होने पर कहा सुनी हो गई।** घटना के समय अभियुक्त दानिश बैसाखी लेकर चलता था। उसके पैर में राड लगी हुई थी अभियुक्त दानिश और तालिब के द्वारा उसकी बेटी

के साथ कोई गन्दी हरकत व गाली गलौज नहीं की गई थी। इस प्रकार उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

25. डी0डब्लू01 पीड़िता की दादी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में दानिश के द्वारा कभी भी पीड़िता के साथ कोई छेडखानी गलत हरकत करने से इंकार किया है व तालिब के द्वारा दानिश की मदद करने से इंकार किया है एवं यह कथन किया है, कि **पीडिता के पिता व दानिश व तालिब के पिता का सम्पत्ति को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था। इसी सम्पत्ति के विवाद को लेकर पीड़िता व उसके परिजन ने दानिश व तालिब के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। जिस समय की घटना पीड़िता द्वारा बताई जा रही है उस समय व घर पर मौजूद थी। यदि कोई घटना हुई होती तो सबसे पहले उसे पता चलता।** डी0डब्लू0 2 पीड़िता के ताउ के द्वारा भी अपने साक्ष्य में उपरोक्त साक्षी के कथनो का समर्थन करते हुए अपने दोनो छोटे भाईयो के बीच आपसी जमीनी विवाद चले आने व घ ाटना की तारीख को इनकी आपस में कहा सुनी होने का कथन किया है। डी0डब्लू0 3 अभियुक्तगण की माता ने भी अपनी मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में दानिश द्वारा पीड़िता के साथ कभी गलत हरकत व छेड़खानी किये जाने से व तालिब द्वारा दानिश की मदद करने से इंकार किया है एवं पीड़िता के पिता एवं उन लोगों के मध्य आपस में सम्पत्ति का विवाद होते रहने एवं उसी विवाद को लेकर पीड़िता के पिता के द्वारा उसके बच्चो के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाये जाने का कथन किया है। पी0डब्लू04 एस0आई0 नीमा रावत इस मामले में विवेचक है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है, कि **मुझे विवेचना में पता चल गया था कि अभियुक्त एवं पीड़िता के परिवार के बीच पूर्व में पारिवारिक विवाद है**। अभियुक्त तालिब से किसी चाकू अथवा या किसी अन्य हथियार की बरामदगी नहीं हुई थी। उसे यह पता लग गया था कि पीड़िता के भाई तथा अभियुक्त स्मैक के मामले में संयुक्त रूप से लिप्त रहे है। **उसने घटना स्थल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरो की चैकिंग की थी लेकिन घटना के संबंध में कोई फुटेज उपलब्ध नहीं थी।**

26. पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है, कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 18.06.2023 को अभियुक्त दानिश के द्वारा छत के रास्ते आकर पीड़िता के साथ छेडछाड किया जाना बताया है। अभियुक्त दानिश के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में पारिवारिक रंजिश के कारण झूठा मुकदमा किया जाना व पहले भी पीड़िता की माता के द्वारा उसके पिता एवं उसके विरूद्ध

रेप का मुकदमा करने व बार बार झूठे आरोप लगाकर मुकदमा करते रहने का कथन किया है। अभियुक्त की ओर से 80क/1 लगायत 80क/3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को क्षेत्राधिकारी विकासनगर के द्वारा प्रेषित आख्या 27 जुलाई 2020 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें पीड़िता की माता के द्वारा इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था कि **हमारा घर फ्रंट में है और मेरे जेठ का घर पीछे है। इसी बात को ये लोग रंजिश रखते है। यह लोग हमें परशान कर हमें यहां से भगाना चाहते है । मेरे तीन बेटे और एक बेटी है। दिनांक 28.05.2020 को मैं अपने घर पर थी, मेरे पति शराब के नशे में नीचे सो रहे थे। खलील हमारे घ ार आया और मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, कुछ दिन पहले ही हमारी आपस में बहसबाजी हुई थी। इसी कारण खलील और उसके लड़को ने मेरे साथ मारपीट कर खुन्दक निकाली। मैनें अपना मेडिकल कराया और इन लोगों की शिकायत करने चौकी बुलाया और पुलिस ने मेरे लड़के जुनैद और खलील के बेटे दानिश को चौकी में बैठा लिया फिर कुछ देर बाद मुकदमा लिखने को कहकर पुलिस ने हमें घर भेज दिया। इसके बाद रात को फिर खलील और उसके लड़के हमारे घर आ गये। लगभग 1:30 बजे का समय था। इन्होनें हमारे साथ मारपीट गाली–गलौच की कहा कि क्या बिगाड़ लिया तुमने हमारा। हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती और जान से मारने की धमकी देकर चले गये ।**पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि इसमामले में 18.06.2023 को अभियुक्त दानिश के द्वारा पीड़िता से छेडछाड किया जाना बताया गया है। जिसकी कोई रिपोर्ट पीड़िता की माता के द्वारा अंकित नहीं कराई गई। जैसा कि पी0डब्लू02 पीड़िता की माता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है, कि उसने अपनी पुत्री के साथ हुई घ ाटना दिनांक 18.06.2023 के संबंध में कोई तहरीर नहीं दी थी। अभियुक्त दानिश के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त दानिश के पैर में राड लगी हुई थी इसलिए वह छत टाप कर नहीं आ सकता। डी0डब्लू0 4 पीड़िता के पिता ने भी इस तथ्य को अपनी मुख्य परीक्षा में स्वीकार किया है, कि **घटना के समय अभियुक्त दानिश बैसाखी लेकर चलता था उसके पैर में राड लगी हुई थी**। पी0डब्लू01 पीड़िता ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है, कि दानिश का एक्सीडेंट नहीं हुआ था इसकी एक टांग टूटी हुई है। **राड लगा है कि नहीं परन्तु बैसाखी लेकर चलता है।** इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जिस समय की घटना बताई गई है, उस समय अभियुक्त दानिश के पैर में राड लगी हुई थी तथा बैसाखी लेकर चलता था। पीड़िता के द्वारा अपने मुख्य परीक्षा के साक्ष्य में अभियुक्त दानिश

के द्वारा जीने से टाप कर उसके घर में घुस आने का कथन किया है। जो कि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त पीड़िता ने अभियुक्त दानिश के द्वारा उसकी सलवार नीचे कर उसके प्राईवेट पार्ट में दो बार नीचे उंगली किये जाने का कथन किया है एवं उसकी माता को कमरे में आने और तुरंत ही तालिब का जाना बताया है। जबकि पीड़िता की माता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है, कि दानिश ने कहा कि तुम्हे जो करना है कर लो अगर तुम पुलिस में गई तो मैं तेरी बेटी और पति को मार दूंगा। दानिश ने अपने भाई तालिब को बुला लिया। जिससे कि यह तथ्य स्पष्ट होता है, कि पीड़िता के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी अम्मी के कमरे में आने के तुरंत बाद की तालिब का आ जाना बताया है, वह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि पीड़िता की माता ने अभियुक्त दानिश का उसके आने के पश्चात अभियुक्त तालिब को बुलाया जाना बताया है। यह भी उल्लेखनीय है, कि इस मामले में पीड़िता का कोई मेडिकल भी नहीं कराया गया है। पी0डब्लू02 पीड़िता की माता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है, कि मारपीट वाली घटना दिनांक 20.06.2023 की है। पीड़िता की माता ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 20. 06.2023 को सुबह साढे नौ बजे दानिश का आना और उसे और उसके पति को गन्दी गन्दी गालियां देना और उसे जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है। पीड़िता की माता ने अपने साक्ष्य में कौन सी गन्दी गन्दी गालिया दी, ऐसा कोई कथन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त घटना स्थल पर पीड़िता के पिता का भी उपस्थित होना बताया है। किन्तु पीड़िता के पिता ने घटना दिनांक 18.06.2023 व 20.06.2023 का समर्थन नहीं किया है व केवल कहा सुनी होना बताया है। पी0डब्लू01 पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना दिनांकित 20.06.2023 के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है, कि पक्षकारो के मध्य पूर्व से ही पारिवारिक रंजिश विद्यमान है। पीड़िता की माता ने घटना दिनांकित 18.06.2023 की कोई रिपोर्ट तत्समय पंजीकृत नहीं कराई गई तथा घटना दिनांकित 20.06.2023 के पश्चात रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई। पीड़िता की माता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है, कि तहरीर उसने किसी टाईप वाले से टाईप कराई थी। तहसील में किसी अधिवक्ता से टाईप नहीं कराई थी। जबकि तहरीर 5क/1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि तहरीर किसी अधिवक्ता से ही लिखाई गई है, क्योंकि तहरीर में संज्ञेय प्रकृति का मामला होने का उल्लेख किया गया है, जिससे कि यह स्पष्ट है, कि तहरीर विधिक राय लेकर लिखाई गई है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है, कि प्रथम सूचना

रिपोर्ट विलम्ब से लिखाये जाने का कोई कारण पीड़िता की माता ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है, कि पीड़िता के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पीड़िता ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया है, कि सीसीटीवी कैमरे हमारे घर के बाहर जहां बंदा एंटर होता है,वहां लगे हुए है। अभी दानिश ने उसका चार्जर निकाल रखा है। स्वयं कहा कि दानिश उपर छत के रास्ते से घर में आया था। यदि तर्क के लिए यह माना जाये कि अभियुक्त दानिश छत के रास्ते से आया किन्तु अभियुक्त तालिब सामने के रास्ते से ही आया होगा और पीड़िता की माता भी सामने के रास्ते से ही आई होगी। अतः यदि कोई घटना दिनांक 18.06.2023 को हुई होती तो सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता की माता और अभियुक्त तालिब अवश्य ही आते। पी0डब्लू0 4 एस0आई0 नीमा रावत के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसने घटना स्थल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की चैकिंग की थी लेकिन घटना के संबंध में कोई फुटेज उपलब्ध नहीं थी। विवेचक के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं होता है, कि उस समय सीसीटीवी कैमरा खराब थे। इस प्रकार यह तथ्य साबित है, कि पक्षकारो के मध्य पारिवारिक विवाद है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाये जाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त पीड़िता के पिता ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा पीड़िता के भाई को परीक्षित नहीं कराया है। जो कि पीडिद्वता के साथ छेड़छाड़ की घ्ज्ञटना का चक्षुदर्शी साक्षी था। पीड़िता एवं पीड़िता की माता के कथनो में घटना के संबंध में विरोधाभास है तथा पीड़िता के घ ार के आगे सीसीटीव कैमरा होने के बावजूद भी पीडिता की माता एवं अभियुक्त तालिब के आने जाने की कोई फुटेज उपलब्ध ना होने से पीड़िता के साथ छेडछाड कर, लैगिंक हमला किये जाने की घटना होना संदेह से परे साबित नहीं होता है तथा अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी है। इसके अतिरिक्त पीड़ता के साथ अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किया जाने का कोई कथन पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में साबित नहीं किया है ना ही ऐसे कोई कथन किये है जिससे कि यह स्पष्ट हो कि किन शब्दो से अभियुक्तगण के द्वारा गाली गलौज की गई हो, ना ही इस मामले में कोई चाकू अभियुक्त तालिब से बरामद हुआ है। जिसे उसके गले पर रखकर जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन पीड़िता व उसकी माता ने अपनी मुख्य परीक्षा में किया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना से अभियुक्त दानिश के द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट कर, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दिये जाने व अश्लील छेडछाड कर लैगिंक हमला

किया जाना व अभियुक्त तालिब के द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट कर गाली गलौज किया जाना व जान से मारने की धमकी दिया जाना संदेह से परे साबित नहीं होता है तथा अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है।

27. अतः पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना से अभियुक्त दानिश के द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट कर, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दिये जाने व अश्लील छेडछाड कर लैगिंक हमला किया जाना व अभियुक्त तालिब के द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट कर गाली गलौज किया जाना व जान से मारने की धमकी दिया जाना संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त दानिश अंतर्गत धारा 323,354,504,506 **भा0द0सं0 एवं धारा 7/8** लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम व अभियुक्त तालिब अंतर्गत धारा 323,504,506 **भा0द0सं0** के आरोपो से दोषमुक्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त दानिश को अंतर्गत धारा 323,354,504,506 **भा0द0सं0 एवं धारा 7/8** लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम व अभियुक्त तालिब को अंतर्गत धारा 323,504,506 **भा0द0सं0** के आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधपत्र व अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जमानतनामे धारा 437क दं0प्र0सं0 के प्रयोजन हेतु निर्णय की तिथि से छः माह के लिये प्रवृत्त रहेगें, तत्पश्चात उपरोक्त अवधि के पश्चात व्यक्तिगत बन्धपत्र व जमानतनामें स्वतः निरस्त समझे जायेगें।

माल मुकदमाती यदि कोई हो तो अपील की अवधि के उपरान्त नियमानुसार निस्तारित किया जाए। मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय पीडिता को कोई प्रतिकर दिलाया जाना न्यायोचित नहीं पाती है।

निणर्य की एक प्रति जिलाधिकारी, देहरादून को प्रेषित हो।

दिनांक– 28.01.2026

(अर्चना सागर)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)/
अपर जिला जज,देहरादून।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घेषित किया गया।

दिनांक– 28.01.2026

(अर्चना सागर)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो)/
अपर जिला जज,देहरादून।